लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–12

फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

श्री आई0एच0 सिद्दीकी (अतिरिक्त महाप्रबन्धक)
प्रतिनिधि, एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1, विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 475 दिनांक 02.01.2018 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम चन्द्रावल, नटकुर नूरनगर भदरसा एवं बिजनौर परगना बिजनौर तहसील सदर जनपद लखनऊ के पूर्व स्वीकृत अनुज्ञा पत्र सं0 424 दि0 02.11.15 के साथ संलग्न भू–विन्यास मानचित्र पर अंकित है, के भूखण्ड सं0 जी–4 के सम्पूर्ण भाग का क्षेत्रफल 7744.91 वर्गमीटर पर स्वीकृत हेतु भू–विन्यास मानचित्र के अनुसार निर्माण/विकास/परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण कतिपय शर्तो के अधीन आपके आवेदन–पत्र पर भू–विन्यास मानचित्र (आवासीय भू–प्रयोग) का अनुमोदन प्रदान किया गया है। निर्धारित शर्तें अनुज्ञा पत्र के साथ संलग्न है।

कार्यालय मुहर

721
27/02/2018

हस्ताक्षर

27.2.18
(एस0पी0 सिंह)
वरिष्ठ प्रबन्धक (परियोजना)

कार्यालय संप्रेषण संख्या 721

दिनांक 27/02/2018

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण(लीडा),

लखनऊ।

संख्या ..../ल0औ0वि0प्रा0/मैप दि0..........

भू–विन्यास अनुमति – पत्र

यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित बिल्डिग वाईलाज व निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित उप–विभाजन तलपट मानचित्र हेतु प्राविधान व प्राधिकरण भवन विनियमावली 2009 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप भू–विन्यास करा रहा है इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवासी या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्व कोई प्रभाव न रखेगा। निम्नलिखित प्रतिबंधों शर्तो के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री आई0एच0 सिद्दीकी (अतिरिक्त महाप्रबन्धक) प्रतिनिधि, एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, कारपोरेट चैम्बर–1, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ–10 द्वारा ग्राम चन्द्रावल, नटकुर नूरनगर भदरसा एवं बिजनौर परगना बिजनौर तहसील सदर जनपद लखनऊ के पूर्व स्वीकृत अनुज्ञा पत्र सं0 424 दि0 02.11.15 के साथ संलग्न भू–विन्यास मानचित्र पर अंकित है, भूखण्ड सं0 जी–4 के सम्पूर्ण भाग का क्षेत्रफल 7744.91 वर्गमीटर पर नक्शे में दर्शित स्थान पर भू–विन्यास मानचित्र हेतु जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है। चिन्हित भू–विन्यास मानचित्र के अनुसार विकास हेतु प्रस्तुत भू–विन्यास मानचित्र (आवासीय भू–प्रयोग) का अनुमोदन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दि0 27.02.18 को किया जा चुका है।

सहा0 प्रबंधक (परि0) प्रबन्धक (परि0) सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर

23/3/18

वरिष्ठ प्रबन्धक (परि0)

दिनांक–

नोट 1. यह स्वीकृत पत्र केवल पॉच वर्ष की अवधि के लिये है। यदि भू–विन्यास का विकास शर्तानुसार /आज्ञानुकूल नही विकसित की गयी तो प्राधिकरण द्वारा उसे निरस्त किया जा सकता हैं अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार विकासकर्ता पर होगा यदि कोई भू–विन्यास बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्ति किये विकसित अथवा पुनः विकसित होगा तो विकासकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय भू–विन्यास को प्राधिकरण द्वारा हटाया जाएगा और उसके हटाने के खर्च का भार उन विकासकर्ता से वसूल किया जायेगा। निम्नलिखित शर्तो के अनुपालन के उपरांत स्थल पर विकास/निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। निम्न शर्ते प्रभावी होगीः–

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पॉच वर्ष की अवधि के लिये है। यदि भू–विन्यास का विकास शर्तानुसार /आज्ञानुकूल नही विकसित की गयी तो प्राधिकरण द्वारा उसे निरस्त किया जा सकता हैं अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार विकासकर्ता पर होगा यदि कोई भू–विन्यास बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्ति किये विकसित अथवा पुनः विकसित होगा तो विकासकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय भू–विन्यास को प्राधिकरण द्वारा हटाया जाएगा और उसके हटाने के खर्च का भार उन विकासकर्ता से वसूल किया जायेगा।

2. विकास/निर्माण के समय इसका ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्टिक सिटी रूल्स के निमय 1970 का उल्लघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामलें पाये गये तो वह भू–विन्यास विकास को निरस्त अथवा रोक अथवा हटा सकता है।

3. प्रार्थी को नियमानुसार प्राधिकरण को विकास के पूर्ण हो जाने की सूचना समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन के अंदर देना होगा।

4. यह अनुमति किसी कारण वश नजूल प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गयी तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर विकास आदि हटावें जिसका कोई हरजाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिये भूमि स्वामी अपनी भूमि के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी भू–विन्यास विकास को प्रारम्भ करे।

5. भू–विन्यास हेतु प्रस्तावित स्थल में समस्त आंतरिक विकास कार्य जैसे नाली, सीवर, सड़क वाटर सप्लाई, वाहय विद्युतीकरण,सेप्टिक टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिग, ट्रांसफार्मर इत्यादि आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर निर्धारित विशिष्टताओं एवं परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित तथा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुरूप कराये जायेगें। स्थलीय निरीक्षण के दौरान आंतरिक विकास कार्यो को निर्धारित विशिष्ठतायों के अनुरूप न पाये जाने की स्थिति मेंप्राधिकरण आवेदक के विरूद्व विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

6. वाहय अवस्थापनागत सुविधओं से आंतरिक सुविधाओं का संयोजन आवेदक द्वारा प्राधिकरण से अनुमति के उपरांत स्वयं के खर्चे पर कराया जायेगा।

7. आवेदक द्वारा स्वीकृत मानचित्र व वाहय विकासात्मक कार्यो के विरूद्व कोई भी वाद योजित नहीं किया जायेगा।

8. भूखण्डों पर व्यक्तिगत आवंटियों द्वारा जो भी निर्माण कराया जायेगा उसका मानचित्र लीडा भवन विनियमावली, निदेशक मण्डल के निर्णय एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत लीडा द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

9. आवश्यक समस्त शासकीय अनापत्ति आवेदक द्वारा अवश्य प्राप्त की जायेगी एवं उसके अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

10. यह अनुज्ञा 5 वर्ष के लिए वैध होगी। वैधता अवधि में आवेदक द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

11. प्रस्तावित स्थल पर विकास प्रारम्भ करने पर आवेदक द्वारा उसकी सूचना विहित प्रपत्र पर प्राधिकरण को दी जायेगी।

12. सड़को के किनारे यथा सम्भव कच्चे रखे जाएंगे अथवा बिक–ऑन–एज"/ लूज स्टोन पेवमेन्ट"का प्राविधान किया जाएगा, ताकि ग्राउन्ड वाटर की अधिक से अधिक रिचार्जिग सम्भव हो सके।

13. विकास के दोरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है, तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने के पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी।

14. विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति/कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग ;ण्कूह या समकक्ष फार्मेट मेंद्ध सी.डी. में जमा करेगा, जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फीस प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार जमा करना होगा।

15. प्राधिकरण द्वारा समय–2 पर आवेदक से मॉगें जाने पर आवंटियों की सूची पंता सहित उपलब्ध कराना होगा।

16. आवेदक को अपने वित्त पोषण संबंधी बैंक/संस्था के विवरण की सूचना प्राधिकरण को देनी होगी।

17. आवेदक को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही संबंधित सिविल इंजी0 व आर्की0 की देखरेख में विकास कार्य कराया जायेगा तथा समय–समय पर कार्य की प्रगति से प्राधिकरण को अवगत करना होगा। विशिष्टियों गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी के लिये प्राधिकरण जिम्मेदार नही होगा।

18. प्राधिकरण के सहा0 प्रबंधक परि0 अथवा अन्य अधिकारी द्वारा यदि किसी प्रकार का निरीक्षण किया जाता है तो आवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा।

19. प्राधिकरण की भवन नियमावली, अनुमोदित उपविभाजन तलपट मानचित्र के प्राविधान एवं अन्य शर्ते आवेदक को मान्य होगी।

20. किसी भी नियमो की अवहेलना करने पर आवेदक का मानचित्र अस्वीकृत माना जायेगा।

21. स्वीकृत मानचित्र की प्रति स्थल पर उपलब्ध रहेगी तथा अध्याय–2 के नियम 16 का पालन किया जायेगा।

22 विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता के पास है।

23. प्रश्नगत स्वीकृति ले-आउट प्लान के उसी भाग के लिए मान्य होगी जो विकासकर्ता के स्वामित्व में है।

24. ले-आउट प्लान के अंतर्गत तालाब, कब्रिस्तान, मंदिर (देवालय) व नाले इत्यादि के स्वरूप को यथावत रखना होगा तथा किसी भी दशा में इसका संकुचन अनुमन्य नहीं होगा।

25. विकासकर्ता द्वारा टाउनशिप /कालोनियों में एस0टी0पी0/म्युनिसपल सालिड वेस्ट का निस्तारण योजनाबद्ध रूप से कराये जाने विषयक पर्यावरण विभाग के शासनादेश सं0 3333/55-पर्या0/2008 दि0 29.09.2008 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा तथा प्रस्तावित योजना के संबंध में सक्षम स्तर से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान 2031 की नीति के आधार पर सालिडवेस्ट की गणना की जायेगी। सालिडवेस्ट के अंतिम निस्तारण हेतु विकासकर्ता को स्वयं नगर निगम की सहमति/अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

26. विकास के सभी कार्य निर्धारित विशिष्टताओं एवं मानकों के आधार पर विकासकर्ता द्वारा सम्पादित कराये जायेगें। विकासकर्ता द्वारा आंतरिक विकास कार्यो का विस्तृत ड्राइंग, डिजाइन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह सुनिश्चित करने हेतु विकासकर्ता द्वारा विक्रय योग्य भूमि का 20 प्रतिशत (बीस प्रतिशत) क्षेत्र लीडा के समक्ष/पास बंधक के रूप में रखा जायेगा अथवा विकासकर्ता द्वारा इतनी ही धनराशि की बैंक गारन्टी प्रेषित की जायेगी। विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य न कराये जाने अथवा निर्धारित विशिष्टताओं एवं मानकों के अनुरूप न करवाए जाने की स्थिति में बंधक भूखण्डों को विक्रय कर अथवा बैंक गारन्टी को कैश कर विकास कार्य लीडा द्वारा सम्पादित कराये जायेगें। विकास कार्य सम्पादित होने पर समानुपातिक रूप से भूखण्ड अवमुक्त किये जायेगें अथवा बैंक गारन्टी अवमुक्त की जायेगी।

27. विकासकर्ता द्वारा रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेतु प्रस्तावित स्ट्रक्चर्स की प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोज्यालोजी के आधार पर उपयुक्तता के संबंध में सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश भूजल विभाग से स्वयं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

28. विकासकर्ता को विद्युत आपूर्ति यू0पी0पी0सी0एल0 से प्राप्त की जानी प्रस्तावित है, जिसके लिए विकासकर्ता को स्वयं यू0पी0पी0सी0एल0 से सहमति/अनुमति प्राप्त करनी होगी।

29. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा लेबर सेस माँगें जाने पर आवेदक प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा

30. विकासकर्ता द्वारा परियोजना में नियमानुसार स्ट्रीट लाइट हेतु सोलर सिस्टम का प्रयोग किया जायेगा। इस हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

31. विकासकर्ता को योजना में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता व डिजाईन को जल निगम के मानकों के अनुसार योजना में करना होगा। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान- 2031 की नीति के

अनुसार कुल जलापूर्ति के 80 प्रतिशत सीवेज की मात्रा की गणना की जायेगी। विकासकर्ता को जनसंख्या के अनुसार सालिड वेस्ट निस्तारण स्थल (गारबेज कलेक्शन सेंटर) हेतु आवश्यक क्षेत्रफल की व्यवस्था विकासकर्ता को स्वयं करनी होगी।

32. यदि भविष्य में मा0 न्यायालय अथवा राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार का निर्णय/निदेश, किन्ही प्रकार के शुल्क अधिरोपित करने के संबंध में जारी किये जाते है तो उसके अनुसार विकासकर्ता को शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा। विकासकर्ता को अपने बैंक का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा, जिनसे उसके द्वारा वित्तीय सुविधा प्राप्त की जा रही है।

33. योजना के मरम्मत एवं रख–रखाव के कार्यो के संबंध में मे0 एल्डिको हाउसिंग इण्डस्ट्रीज लि0 को लीडा द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करना होगा।

34 विकासकर्ता द्वारा आंतरिक विकास कार्यो का विस्तृत ड्राइंग, डिजाइन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

35. किन्ही भी शर्तो का अनुपालन न करने पर ले–आउट मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निदेशक मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

सहायक प्रबन्धक (परि0) | प्रबन्धक (परि0) | सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर

पत्र सं0 721........./लीडा/ए0सी0ई0ओ./335..................दिनांक 27/02/2018

प्रतिलिपि–

1. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, लीडा लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अवशेष आंशिक विकासात्मक शुल्क की गणना एवं देयता के विवरण से आवेदक को अवगत कराना चाहे।

3. संबंधित सहा0प्रबंधक परि0 (जोन–लखनऊ) को इस आशय से प्रेषित कि मौके पर स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र के अनुसार ही विकास कार्य हो को सुनिश्चित कराये अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

23/2/18

वरिष्ठ प्रबन्धक (परियोजना)

LIDA
LUCKNOW INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012
फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 515 दिनांक 18.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 721 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–4 के भूखण्ड संख्या 437 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 सें 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या 1453

दिनांक 27/12/18

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012

फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 522 दिनांक 19.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 721 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–4 के भूखण्ड संख्या 438 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 से 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या 1434

दिनांक 26/12/18

LIDA
LUCKNOW INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण
जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012
फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 403 दिनांक 19.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 721 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–4 के भूखण्ड संख्या 439 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 सें 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या ......1437......

दिनांक 26/12/18

10

LIDA
LUCKNOW INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012
फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 525 दिनांक 19.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 721 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–4 के भूखण्ड संख्या 440 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 सें 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या 1440

दिनांक 27/12/18

-1-

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012

फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 510 दिनांक 18.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 721 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–4 के भूखण्ड संख्या 441 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 सें 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियेाजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या 1436

दिनांक 26/12/18

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012

फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 526 दिनांक 19.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 721 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–4 के भूखण्ड संख्या 442 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 सें 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या 1432

दिनांक 26/12/18

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012

फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 520 दिनांक 19.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 721 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–4 के भूखण्ड संख्या 443 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 से 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या 1433

दिनांक 26/12/18

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012

फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 516 दिनांक 18.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 721 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–4 के भूखण्ड संख्या 444 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 सें 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या 1549

दिनांक 27/12/18

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012

फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 517 दिनांक 18.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 721 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–4 के भूखण्ड संख्या 445 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 सें 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या 1450

दिनांक 27/12/18

LIDA
LUCKNOW INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे-2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ-226012
फोन नं0 : 0522-2435514 फैक्स : 0522- 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर-1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ-10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 521 दिनांक 19.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 721 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र में जी-4 के भूखण्ड संख्या 446 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 सें 25) के अनुसार आपके आवेदन-पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम --श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम -- प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या ....1439........

दिनांक 27/12/18

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–226012

फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
कारपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ–10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 513 दिनांक 18.06.18 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र परमिट सं0 सं0 721 दि0 27.02.18 द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में जी–4 के भूखण्ड संख्या 447 भाग पर आवासीय भवन (आवासीय) के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 से 25) के अनुसार आपके आवेदन–पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम –श्री ओ0पी0 सिंह

अधिकारी का पदनाम – प्र0 वरि0 प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या 1452

दिनांक 27/12/18

File Shaurya E.C. 12/07/14

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parisar
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.com

To,

Mr. V.P. Singhal,
Advisor (Technical)
M/S Eldeco Housing and Industries Ltd.,
2nd Floor, Eldeco Corporate Chamber-1,
Vibhuti Kand, Gomti Nagar, Lucknow.

Ref. No. 925 /Parya /1609 /SEAC/2013/AAS Dated 31 July, 2014

Subject- Environmental Clearance of Proposed Group Housing Eldeco Shaurya at Chandrawal-848, Natkur-624-638, Noor Nagar-Bhadrsa-15, 16SA, 16/2, 39, Bijnaur-1229SA, 1230-1251, District-Lucknow.

Dear Sir,

Please refer to your letter dated 10/04/2014 addressed to the Chairman, SEIAA,, Directorate of Enviourment, Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow, U.P. on the subject as above. The State Level Expert Appraisal Committee has considered the case in its meeting held on **dated 02-05-14** on the basis of replies submitted regarding the information asked in earlier meeting **dated 14/08/2013** wherein the committee recommended as follows:-

"the project proponent through their letter dated 19/07/2013 have informed that the proposals only involves the plotted development works. Also, the area of development is less than 50 ha, so there is no need for environmental clearance as of now. They have further informed that the project shall be presented for obtaining environmental clearance as and when the project will be taken up for any construction work. The committee discussed the matter and directed that if the built-up area for proposed plotted development is less than 20,000 sqm, the environmental clearance is not required for the same. However. in case the proposals exceed 20,000 sqm the construction shall only be undertaken after obtaining prior environmental clearance and directed that an environmental clearance may be required for excavation of earth for the purpose of project. The proponent should submit the application in the matter as per EIA notification, 2006 as amended. "

On the basis of information submitted through your letter **dated 10/04/2014**, the Committee has noted that excavation of soil is required in the project for following purposes:

- For leveling and dressing of the residential plots to bring them to the required level.
- For construction of storm water drainage and for laying sewer and water pipelines, cable line for electrification and development of parks, rain water harvesting and construction of internal roads.

- Also the excavated soil shall be entirely used within the project area and at no point of time, soil will be sent outside the project area and during the project work guidelines of MoEF OM dated 24/06/2013 shall be strictly observed.

The committee also noted the following recommendations of SEAC meeting **dated 07/07/2012:-**

"that soil excavation is an integral part of building construction and separate environmental clearance is not required for excavation of soil for basement/other construction related activities in construction project proposals for which environmental clearance has been granted or applied. The construction proposals (plot area less than 50 hectares and/or built up area less than 20,000 sqm) are exempted from the requirement of prior environmental clearance as per EIA notification, 2006 soil excavation other than in-house purposes may be exercised with certain safeguards as follows:

1. Top soil should be adequately preserved and should be used for landscaping.
2. Excavated soil should be properly stored in a manner not to increase surrounding SPM level.
3. Water sprinkling should be exercised during excavation and storage of soil for suppression of fugitive dust.
4. Unused excess soil should be disposed with proper permission from District Administration.
5. Disposal of unused soil should only be transported in covered vehicles.
6. Excavated area should be properly reclaimed and insured that no open bore hole is left.
7. Safety measures for the people working at the site shall be duly taken care of as per law.
8. Proposals of soil excavation for "commercial purposes" need the prior environmental clearance.

The committee discussed the matter and deliberated that environmental clearance for soil excavation within the project premises for the purposes as proposed is not required in view of above. The State Level Environment Impact Assessment Authority (123rd meeting held on 26-5-2014) agreed with the recommendations of the SEAC as above.

Accordingly, you are hereby informed and directed to strictly follow the guidelines for earth excavation issued through MoEF OM dated 24/06/2013 should also be duly followed, failing which the matter shall attract provisions of violation of Environment (Protection) Act, 1986. In case the proposals exceed constructions of 20,000 sqm (built up area), the construction shall only be undertaken after obtaining prior environmental clearance under EIA Notification, 2006.

(J. S. Yadav)
Member Secretary, SEIAA

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी—ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

अवधि- ०३ वर्ष

संदर्भ संख्या F31164/सी-५/एन०ओ०सी०-६९६/२०१३ दिनांक 1-10-13

सेवा में,

मे0 एल्डिको शौर्य ग्रुप हाउसिंग,
बिजनौर रोड,
लखनऊ।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से /नई इकाई की स्थापना हेतु/ ~~कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार/संयंत्रों के आधुनिकीकरण~~ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक शून्य/२७.९.१३ का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण—पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) स्थल : एल्डिको शौर्य ग्रुप हाउसिंग, बिजनौर रोड, लखनऊ

(ख) उत्पादन : केवल प्लाटिंग हेतु
14.5707 हे०

(ग) मुख्य कच्चे माल :..
केवल प्लाटस
....

....

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा :......शून्य..

....

....

(ङ.) प्रयुक्त ईधन :......कोई नहीं, केवल प्लाटिंग का कार्य किया जाना प्रस्तावित..........................

....

....

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा ....५०० लीटर प्रतिदिन........ से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक ......३१.१२.२०१३...... तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७. परियोजना में केवल प्लाटिंग का कार्य किया जायेगा। परियोजना द्वारा कोई फलैटस अथवा प्लाटिंग काटने के अलावा ग्रुप हाउसिंग बनाने का कार्य नहीं किया जायेगा। प्लाटिंग के अलावा कोई भी कार्य करने हेतु बोर्ड से पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों का कडाई से अनुपालन किया जाये अन्यथा की स्थिति में बोर्ड से प्राप्त रू० १० लाख की बैंक गारंटी को बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त किया जा सकता है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एंव सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक ......३१.१२.२०१३...................... तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं. /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र :..

2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :................................ लखनऊ

4. ....

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(सर्किल– 5)